


**कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
**:: कार्यालय आदेश ::**

**प्रारूप-6**

श्रीमती वन्दना गौतम, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चित्तौडगढ़ में कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 30.06.1959 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 10.10.1980 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्रीमती वन्दना गौतम, के विरुद्ध आज तक:-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/उदयपुर म./स्वै.से.नि./2017 दिनांक : 12-1-18  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक), चित्तौडगढ़
4. कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़
5. श्रीमती वन्दना गौतम, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चित्तौडगढ़
6. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चित्तौडगढ़
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर